



Neutral Citation-2026: AHCएएचसी:20763

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 3153 / 2026

रामूयाचिकाकर्तागण
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 30 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता: चरण सिंह

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता: अचल सिंह, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. इस मामले में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, विरोधी पक्ष को नोटिस देने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हालाँकि, यदि विरोधी पक्ष इस आदेश से व्यथित महसूस करता है, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

3. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील राठ, जिला हमीरपुर को निर्देश दिया जाए कि वे उ.प्र. भू-राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत मामला संख्या 4495 (कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या T202307320204495), रामू और अन्य बनाम ग्राम पंचायत और अन्य, को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाएं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि उ.प्र. भू-राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उप-धारा (3) में निहित प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के आवेदनों का निपटारा एक समय-बद्ध अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। धारा 24 की उप-धारा (3) इस प्रकार है:-

"(3). इस धारा के तहत प्रत्येक कार्यवाही, जहाँ तक संभव हो, उप-विभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन की तारीख से तीन महीने के भीतर पूरी की जाएगी।"

5. आगे यह भी तर्क दिया गया है कि यद्यपि उपर्युक्त अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है, फिर भी आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है; अतः यह वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील राठ, जिला हमीरपुर, उपर्युक्त मामले का निपटारा उ.प्र. भू-राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उप-धारा (3) में निहित प्रावधानों के अनुसार करें, बशर्ते कि इसमें कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

29 जनवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"